

प्रेषक,

डॉ० नेशामणि के., भा०व०से०
वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
पटना, बिहार।

विषय: समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है आम निलामी के प्रकाशन हेतु संलग्न सूचना (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी) भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना को विभिन्न, राष्ट्रीय समाचार पत्रों के हिन्दी/अंग्रजी संस्करण में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त - (पी.डी.एफ. फाईल, सी0डी0 सहित)।

विश्वासभाजन

U Nay
वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया।
18/11/23

ज्ञापांक 3913 दिनांक 18/11/23 /

प्रतिलिपि :-

(1) मुख्य वन संरक्षक (आई.टी.) बिहार, पटना को आम निलामी के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(2) आई.टी. मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को आम निलामी के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुरोध है कि संबंधित निलामी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाये।

U Nay
वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया।
18/11/23

विभागीय वाहनों की आम नीलामी सूचना

संख्या-01/2023-24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के एक वाहन (टाटा सुमो) की नीलामी "जहाँ है, जैसे है" के आधार पर खुली डक द्वारा दिनांक-15.12.2023 को अपराह्न 03:00 बजे वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया में इच्छुक खरीददार निर्धारित तिथि एवं समय पर वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के कार्यालय कक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे। नीलामी संबंधी अन्य जानकारी वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी योग्य वाहन की सूची निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	अनुमानित मूल्य	जमानत राशि	अभ्युक्ति
1	BR22P2425	टाटा सुमो	100000	5000	संबंधित वाहन बेतिया स्थित विभागीय परिसर में है।

नीलामी की शर्त निम्न प्रकार है :-

1. वाहन की बिक्री आम नीलामी से की जायेगी।
2. डक बोलने के पूर्व इच्छुक डक वक्ता को उपर्युक्त तालिका में वाहन के सामने दर्शाये गये जमानत की राशि के रूप में दिनांक 11.12.2023 से 14.12.2023 तक कार्य अवधि में जमा करना होगा एवं जमानत के राशि कंडिका-13 में वर्णित Annexure- A के साथ देना है। इच्छुक खरीदार को जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट Conservator of Forest-cum- Field Director, Valmiki Tiger Reserve, Bettiah के नाम पर बनवाना है।
3. डक बोलने के पूर्व इच्छुक डक वक्ता निर्धारित तिथि एवं कार्य अवधि में 5000/- (पाँच हजार रु.) नगद राशि भी वन संरक्षक कार्यालय में जमा कर मनी रसीद प्राप्त करने के उपरांत आम नीलामी में भाग ले सकते हैं।
4. वर्णित वाहन संख्या BR.22.P.2425 निर्धारित तिथि को आम नीलामी में अगर बिक्री नहीं हो पाती है तो आने वाले कार्य अवधि के प्रत्येक सोमवार को निर्धारित समय पर वाहन आम नीलामी हेतु उपलब्ध रहेगी। उक्त क्रम में डक बोलने के पूर्व इच्छुक डक वक्ता निर्धारित कार्य अवधि में निर्धारित दिन सोमवार को 12:00 बजे अपराह्न तक 5000/-

(पाँच हजार रु.) नगद राशि जमा कर मनी रसीद प्राप्त करने के उपरांत आम नीलामी में भाग ले सकते हैं।

5. उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाक वक्ता असफल नीलामीकर्ता की प्रतिभूति राशि उसी दिन नीलामी समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायगी। उच्चतम बोली राशि का पच्चीस प्रतिशत का भुगतान उसी समय किया जाना होगा।
6. आम नीलामी में विभागीय प्रक्रिया के तहत उच्चतम बोली बोलने वाले को वाहन का क्रेता माना जायेगा।
7. उच्चतम डाक वक्ता को समाप्ति के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर आकलित राशि एवं नगद/बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
8. उच्चतम डाक वक्ता द्वारा राशि जमा नहीं करने अथवा उच्चतम बोली बोलने के बाद वाहन लेने से इंकार करने पर उसकी अग्रधन जप्त कर ली जायेगी तथा उसके पश्चात द्वितीय उच्चतम अर्पणकर्ता को क्रय का मौका दिया जा सकेगा।
9. उच्चतम डाक वक्ता के रूप में वाहन लेने वाले व्यक्तियों से बिक्री मूल्य के अतिरिक्त GST, आयकर एवं अन्य कर अलग से देय होगा।
10. उच्चतम राशि वक्ता को एक सप्ताह के अन्दर नीलामी किये गये वाहनों को यथा स्थान से ले जाना होगा।
11. वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया को यह अधिकार होगा कि आम नीलामी में रखे गये वाहन की नीलामी को किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
12. नीलामी की शर्तें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाइट www.state.bihar.gov.in एवं www.valmikitigerreserve.com से प्राप्त किया जा सकता है।

13. Annexure-A (जमानत की राशि जमा करने का फॉर्मेट)


- (क) बोली लगाने वाले का नाम
- (ख) बोली लगाने वाले का पता
- (ग) मोबाईल संख्या
- (घ) वाहन की बोली लगाना चाहते हैं। वाहन संख्या/मेक.....

जमानत की राशि का ब्यौरा :-

क्र० सं०	वाहन का विवरण	वाहन संख्या/मेक	ड्राफ्ट संख्या/मनी रसीद	ड्राफ्ट /मनी रसीद की तारीख

बोली लगानेवाले का हस्ताक्षर

14. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रमाण स्वरूप में पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति आवेदन-पत्र में संलग्न किया जाना आवश्यक है।
15. आम नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को वाहन की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
16. नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त अनुसमर्थन पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण राशि जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित वाहन नीलामी रद्द करते हुए जमा की गयी अग्रधन राशि को राज्यसात/जप्त कर लिया जायेगा एवं उक्त क्रेता को काली सूची (Black listed) में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
17. नीलामी क्रेता द्वारा वाहन का निबंधन स्वयं कराया जायेगा। विभाग द्वारा मात्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
18. किसी भी कार्य दिवस पर उक्त वाहनों को देखा जा सकता है एवं नीलामी से संबंधित जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मो. संख्या-9534912977


वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया।
18/11/23